न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 04/21 दायर दिनांक: 30.09.2021

जीसीएमएस नं. 2021/221

उनवान

1 केदारसिंह 2 हरवीरसिंह पुत्रान रामकिशन जातियान जाट नि. खानपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––अपीलाण्ट्स

बनाम

1 ग्राम पंचायत बाछरैन पं. स. भुसावर जरिये सरपंच ग्रा.पं. बाछरैन पं. स. भुसावर जिला भरतपुर।

2 रामकिशन पुत्र निहालसिंह जाति जाट नि. खानपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. 1956
विरूद्ध नामा. सं. 18 दिनांक 22.06.2020
ग्राम पंचायत बाछरैन, पं.स. भुसावर

अधिवक्ता:–

1 श्री छोटेलाल मीना ––अपी.
2 श्री लेखराज चौधरी ––रेस्पो. सं. 2

निर्णय दिनांक 19.03.2025

वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ख.नं. 200 रकबा 0.16, 204 रकबा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम खानपुर तह. भुसावर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रैस्पोडेन्ट संख्या 2 रामकिशन दर्ज रिकॉर्ड था। जिसने उक्त आराजी में से ख.नं. 200 रकबा 0.16 हैक्ट. के संपूर्ण हिस्सा का व .ख.नं. 204 रकबा 0.31 हैक्टे. में से 3/4 हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र अपीलान्ट को वाहिस्सा बराबर दान दे दिया था और तभी से अपीलान्ट्स उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग शान्ति पूर्वक करते चले आ रहे है।

अपीलान्ट्स ने उक्त दान पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम नामान्तकरण दर्ज कराने के लिये ग्राम पंचायत बाछरैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत ने दानपत्र को सरसरी तौर पर नामान्तकरण दर्ज करते समय ख.नं. 200 रकबा 0.16, 204 रकबा 0.31 हैक्टे. के 3/4 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 18 दर्ज कर दिनांक 22.06.2020 को अपना आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 22.06.2020 के विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है–

अ– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.06.2020 को पारित नामान्तकरण संख्या 18 गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

ब– अपीलान्ट के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा कराये गये दानपत्र के आधार पर ख.नं. 200 रकबा 0.16 हैक्टे. के संपूर्ण भाग व ख.नं. 204 रकबा 0.31 हैक्टे. के 3/4 हिस्सा के स्थान पर उक्त आ.ख.नं. 200, 204 के 3/4 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 22.06.2020 को अपना आदेश पारित किया है, जो निरस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

स– अपीलान्ट के हक में तहरीर व तस्दीक हुए रजिस्टर्ड दानपत्र पर कोई गौर ना करते हुए सरसरी तौर पर बिना दानपत्र को नजर अन्दाज करते हुए ही नामान्तकरण संख्या 18 पर आदेश पारित कर दिया। जबकि दानपत्र ख.नं. 200 से संपूर्ण हिस्सा व ख.नं. 204 में से 3/4 हिस्से का दानपत्र अपीलान्ट के हक में निष्पादित हुआ है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। जो गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध होने के कारण काविल खारिजी के है।

अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 22.06.2020 नामान्तकरण संख्या 18 को निरस्त किया जावे।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की ओर श्री लेखराज चौधरी एड. द्वारा वकालतनामा व जवाब अपील पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाद तलवी उपस्थित नहीं आया। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। इसके आधार पर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आज्ञा है कि अपील अपीलान्ट उपरोक्त विवेचनानुसार आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 22.06.2020 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत जाँच एवं सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)